भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1244

दिनांक 09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

†1244. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण, प्रगति और निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाओं में चयनित प्रतिनिधियों को शिक्षित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान राज्य के संदर्भ में जिला-वार तथा राज्य-वार पंचायती राज संस्थाओं में चयनित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में लगे प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए गए प्रशिक्षण सत्र, चयनित प्रतिनिधियों की संख्या और पृथक रूप से चयनित महिला प्रतिनिधियों की संख्या जिन्होंने ऐसे सत्रों में भाग लिया, की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन तरीकों का ब्यौरा क्या है जिनके तहत प्रशिक्षण सत्रों की प्रभावकारिता की निगरानी की जाती है तथा सत्रों की निगरानी के लिए बनाए गए तरीकों को सभी राज्यों के लिए मानकीकृत किया गया है; और

(ङ) चयनित प्रतिनिधियों द्वारा आदर्श ग्राम पंचायतों के लिए दौरों की कुल संख्या क्या है तथा गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में चयनित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों की राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जीपीडीपी दिशानिर्देश तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए आदर्श ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) दिशानिर्देश तैयार किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय आरजीएसए के तहत जीपीडीपी के निर्माण और उनके कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 में, 4713372 निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों को जीपीडीपी की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2020-21 में, जीपीडीपी की तैयारी के लिए 3277820 निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) राजस्थान में, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यरत प्रशिक्षण संस्थान राज्य स्तर पर इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान और क्षेत्रीय स्तर पर 6 पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त, 13 विभाग पंचायत संसाधन केंद्र निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) वर्ष 2018-19 से लागू की जा रही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों और पंचायतों के पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईडब्ल्यूआर, पीएफ, और पंचायतों के अन्य हितधारकों सहित आरआरजीएसए के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की कुल संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढाँचे के साथ समन्वय में है, जो राज्य के विशिष्ट संदर्भ के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन सहित पंचायती राज संस्थानों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। मोटे तौर पर, प्रशिक्षण सत्रों की निगरानी के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र प्रशिक्षण निगरानी, जो अलग-अलग मॉड्यूल, समर्पित टीम की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए समर्पित एमआईएस पोर्टल का उपयोग करके विशिष्ट ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण का उपयोग करके अनुकूलित प्रशिक्षण प्रतिक्रिया रूपों/प्रारूपों का उपयोग करते हुए डिजिटल निगरानी उपकरणों का उपयोग, जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति, नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बातचीत का उपयोग करके निगरानी कर रहे हैं ।

(ङ) आरजीएसए की स्कीम के तहत राज्यों की पंचायतों के 40,717 निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने अनुभव दौरे किए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 09.02.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने वाले पंचायतों के ई डब्ल्यू, पी एफ और अन्य हितधारकों की राज्य/केन्द्र शासित वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	343	509
2	आंध्र प्रदेश	380224	600866
3	अरुणाचल प्रदेश	1785	9636
4	असम	322528	209737
5	बिहार	0	30223
6	छत्तीसगढ़	292025	129543
7	दादरा और नगर हवेली	42	43
8	दमन और दीव	14	18
9	गोवा	1704	3089
10	गुजरात	543094	22159
11	हरियाणा	35293	0
12	हिमाचल प्रदेश	7303	3852
13	जम्मू और कश्मीर	102540	34256
14	झारखंड	11221	0
15	कर्नाटक	301375	304477
16	केरल	109057	107216
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	540573	480984
20	महाराष्ट्र	80703	711268
21	मणिपुर	20204	582
22	मेघालय	2600	10797
23	मिजोरम	6510	3048
24	नागालैंड	14999	5457
25	ओडिशा	36851	65500
26	पुडुचेरी	0	0
27	पंजाब	77112	0
28	राजस्थान	122077	570

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20
29	सिक्किम	15166	6910
30	तमिलनाडु	391621	160399
31	तेलंगाना	169078	14016
32	त्रिपुरा	15910	10399
33	उत्तराखंड	38839	2226
34	उत्तर प्रदेश	251796	16648
35	पश्चिम बंगाल	412064	453766
	कुल	**4304651**	**3398194**